फा. सं. जीएसटी/आईएनवी/अरेस्ट-कैविएट/18-19

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड

जीएसटी – अन्वेषण प्रकोष्ठ

****

दिनांक 30 मई, 2019

निर्देश सं. 02/2019-20[जीएसटी – अन्वेषण]

विषय: एसएलपी संख्या 4322-4324/2019 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश।

सीआरएल डब्ल्यूपी संख्या 1996/2019, 1997/2019 और 1998/2019 के मामले में बॉम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 11-04-2019 के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी संख्या 4322-4324/2019 दायर की गयी जो कि मुख्य रूप से सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के अंतर्गत गिरफ्तार करने की शक्ति को चुनोती देने के सन्दर्भ में थी

2. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2019 में अन्य बातों के साथ -साथ निम्नानुसार प्रेक्षित/निर्देशित किया गया है:

> " चूंकि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस मामले में अलग-अलग विचार रखे हैं, हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा कानून की स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसलिए, नोटिस
>
> चूंकि अभियुक्त-प्रतिवादियों को आक्षेपित आदेशों द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व-गिरफ्तारी जमानत का विशेषाधिकार दिया गया है, इस स्तर पर, हम इसमें हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि उच्च न्यायालय भविष्य में इस तरह के अनुरोध पर विचार करते समय यह ध्यान में रखेंगे कि इस न्यायालय ने एसएलपी (सीआरएल) संख्या 4430/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.5.2019 के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था। इसी तरह के मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश, जिसमें तेलंगाना उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विपरीत विचार किया था। "

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र संरंच्नाओ को निर्देश दिया जाता है कि ऐसे सभी मामलों में जहां सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के प्रावधानों को न्यायालयों में चुनौती दी जाती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों को संबंधित उच्च न्यायालयों के ध्यान में लाया जा सकता है।

ह/-

(नीरज प्रसाद)

आयुक्त[जीएसटी - अन्वेषण], सीबीआईसी

सेवा में:

प्रधान महानिदेशक [डीजीजीआई] , नई दिल्ली
प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी, सभी जोन।